प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 04.08.2024

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा गैंगेस्टर एक्ट का वांछित 25000 रूपये का ईनामी अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 03.08.24 की रात्री पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 25000 रूपये का ईनामी बदमाश अंकित पुत्र प्रदीप कुमार निवासी बी/114 सदर बाजार कालपी थाना कालपी जनपद जालौन हाल पता परमहंस स्कूल के पीछे आशू शर्मा के यहाँ किरायेदार सैक्टर 23 संजय नगर थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद को थाना मधुबन बापूधाम की पुलिस टीम द्वारा लोकल इनपुट व मुखबिर की सूचना पर गुलधर रेलवे क्रासिंग कमिश्नरेट गाजियाबाद के पास से गिरफ्तार किया गया है। जो थाना मधुबन बापूधाम पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था।

नाम पता अभियुक्त –

1.अंकित पुत्र प्रदीप कुमार निवासी बी/114 सदर बाजार कालपी थाना कालपी जनपद जालौन हाल पता परमहंस स्कूल के पीछे आशू शर्मा के यहाँ किरायेदार सैक्टर 23 संजय नगर थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्त

अभियुक्त अंकित के विरुद्ध थाना कविनगर पर 01 मुकदमा हत्या का प्रयास, 01 मुकदमा रंगदारी मांगने का, थाना मधुबन बापूधाम पर 02 मुकदमें लूट के 01 मुकदमा गैंगेस्टर का कुल 05 मुकदमे पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली थाना पुलिस टीम –

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा एक दुराचारी अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 11.07.2024 को थाना साहिबाबाद पर शिवकृष्णा मेडी केयर सेंटर लाजपत नगर से एक लड़की पीड़िता जिसकी उम्र 14 वर्ष के गर्भ से एक नवजात शिशु करीब 04- माह का मृत अवस्था स्वतः पैदा होने के संबंध में थाना साहिबाबाद पर मीमो प्राप्त हुआ था जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के घर वालों से प्रार्थना पत्र देने को कहा गया लेकिन पीड़िता के घर वालों ने उक्त घटना के सम्बन्ध में कोई प्रा0पत्र नही दिया गया। पीड़िता की उम्र कम है एवं अपराध की श्रेणी जघन्य है। थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुये उ0नि0 नरेश कुमार द्वारा अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 13.07.2024 को थाना साहिबाबाद पर

सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया । तत्काल थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता व उसके घर वालों से कई बार काउन्सलिंग करायी गयी। मैनुअल इनपुट एवं अन्य इलैक्ट्रानिक साक्ष्यों के आधार पर उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए दिनांक 04.08.2024 को अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र श्री सत्यवीर सिंह निवासी अन्हैडा थाना अगौता जिला बुलन्दशहर उम्र 21 वर्ष शनि मन्दिर शनि चौक थाना साहिबाबाद से गिरफ्तार किया गया अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ की गयी तो बताया कि पीड़िता के पिता रिश्ते में मामा लगते है। मार्च माह में मैं एक शादी प्रोग्राम में शामिल होने के लिये गाजियाबाद आया था तब इनके घर रूका था तभी मुझसे गलती हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः

अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र श्री सत्यवीर सिंह नि0 अन्हैडा थाना अगौता जिला बुलन्दशहर उम्र 21 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली टीमः

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।